MOHAN DEV): (a) to (d) SAIL had invited global tenders for supply of the Cold Rolling Mill and received only two offers from abroad—one from M/s. Nisho Iwai Corporation of Japan and the second from M/s Duardin Montbard Somenor of France. Neither M/s. Hitachi Ltd. of Japan nor any Indian firm had responded to the global tender. DGTD had accorded indigenous clearance to the import of cold Rolling Mill in consideration of the above and also the fact that the technology for manufacture of the Cold Rolling Mill, required by Salem Steel Plant, together with integrated controlls and accessories, was not available indigenously.

(b) Salem Steel Plant/SAIL is not aware of any relationship between M/s. Nisho Iwai Corpn. and M/s. Trade Links.

(c) Yes, Sir. Re-submission of bids was considered necessary because both the quotations needed clarifications and the prices offered were considered to be on higher side than warranted/justified. It may not be in the commercial interest of SAIL to divulge the details of prices offered by the parties. At the stage of the first bid as well as the second bid, the offer made by M/s. Nisho Iwai Corpn. was evaluated to be the lower one.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखंडों का आबंटन

1814. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1991 तक दिल्ली में आवंटित भू-खंडों में से क्षेत्र-वार कितने वैकल्पिक भू-खंडों के स्थान में परिवर्तन किये हैं तथा इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं; और

(ख) उसी अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त भू-खंडों के संबंध में ऐसे कितने मामलों में आदेश किये गये जिनको अभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा ये मामले किन-किन व्यक्तियों से संबंधित हैं और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने पूर्व और दक्षिण जोनों में स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं दी है जबकि पश्चिम और उत्तर जोनों में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से क्रमशः 2 और 12 परिवर्तनों की अनुमति दी गई है :—

(i) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्लाट के आकार के लिए आबंटिती के जोर देने के कारण

(ii) प्लाट की अवस्थिति संबंधी विभिन्न कमियों के कारण; और

(iii) प्रमाणिक अनुकम्पा आधारों के कारण ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास इस प्रकार का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

बिना बारी के आबंटित मकानों तथा भू-खंडों के स्थान में परिवर्तन

1815. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जनवरी, 1991 से 31 अगस्त, 1991 तक कुल कितने मामलों में बिना बारी के आबंटित मकानों तथा भूखंडों के स्थान में परिवर्तन के आदेश दिये थे और प्रत्येक मामले का आधार क्या था तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और पते क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 1 जनवरी, 1991 से 31 अगस्त, 1991 के दौरान उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 13 मामलों में, बिना बारी के आधार पर आबंटित फ्लैटों